भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2006

11 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

भूमि तथा विकास कार्यालय द्वारा लीज-होल्ड संपत्तियों को फ्री-होल्ड में परिवर्तित करना

†2006. श्री जय प्रकाशः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि भूमि तथा विकास कार्यालय (एल एंड डीओ) दिल्ली में लीज-होल्ड संपत्तियों को केवल संपूर्ण भवन के आधार पर फ्री-होल्ड में परिवर्तित करता है न कि इकाई-वार आधार पर जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सरकारी राजस्व में वृद्धि करने की दृष्टि से दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) द्वारा अपनाई गई नीति के अनुरूप मौजूदा नियमों में संशोधन करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग): भूमि और विकास कार्यालय (एल एंड डी ओ) ने पहले लीज होल्ड आधार पर बहुत-सी संपत्तियां आवंटित की थी। भूमि और विकास कार्यालय की लागू नीतियों के अनुसरण, में इन अधिकांश संपत्तियों को लीज होल्ड से फ्री होल्ड में बदला जा चुका है। भूमि और विकास कार्यालय संपूर्ण बिल्डिंग के आधार पर मामलों को आगे बढ़ाता है, क्योंकि मूल आवंटन इकाई-वार नहीं किया गया था। इकाई-वार मामलों की प्रक्रिया में कानून, तकनीकी और प्रशासनिक पहलुओं की विस्तृत जांच शामिल है।

*****